फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

छीतर बनाम मोती वगै0

संख्या : प्रा. पत्र 17/2019

दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
04/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी की प्रा0 पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस अभिवचन किया की वाद दिनांक 10.102019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया उस दिन प्रार्थी अधिवक्ता रेवेन्यू बोर्ड बेंच जयपुर गये हुए थे। अतः आदेश पुर्नविचार किये जाने योग्य है। हमने प्रा0 पत्र व मूल दावे का अवलोकन किया मूल दावे के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दावा 09R5 के तहत खारिज किया गया था। आदेश 9 नियम 5 जिसमें स्पष्ट लिखा है कि :- जहां समन प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों में से एक के नाम निकाले जावे और तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात् उस तारिख से सात दिनों की अवधि तक, वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद खारिज कर दिया जावे :- ऐसी दशा में वादी (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकेगा। प्रार्थी / वादी का वाद रजि एडी नोटिस पेश नहीं करने पर 09R5 के तहत खारिज किया गया था। वादी / प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस संबंध में तथ्य छुपाये है ना ही दौराने बहस अभिवचन किया है। वादी ने केवल प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर वाद को पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है जो कि उचित नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:48 IST
Reason: SelfAttested